रोजा संस्थान, वाराणसी

मुसहर समाज में बाल विवाह की स्थिति

–एक संक्षिप्त रिर्पोट–

रोजा संस्थान एक पंजीकृत सामाजिक संस्था है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़, चन्दौली और महराजगंज के 124 गांवों में सामाजिक उत्थान के लिये कार्य कर रही है।

जिला चन्दौली के विकास खण्ड चकिया के 16 गांवों में चाइल्ड राइट एण्ड यू, नई दिल्ली के सहयोग से रोजा संस्थान बाल अधिकार के मुददे पर कार्यरत है। संस्थान द्वारा मुसहर समाज के उत्थान के लिये विशेष प्रयास किये जातें है। आपको अवगत कराना है कि जिले में मुसहर समाज की वस्तियों में 0 से 5 साल के बच्चे में कुपोषण और बिमारियों के संक्रमण की अधिकता पायी गयी है वहीं महिलाओं में खून की कमी, गर्भावस्था के दौरान बजन की कमी, बच्चो के जन्म के कम अंतराल और टीकारण आदि की सेवाओं के लाभ से दूरी आदि। इन कारणों के परिपेक्ष में संस्था द्वारा कार्य करते हुये अनुभव आया कि इस समाज में बाल विवाह है लेकिन बाल विवाह की क्या स्थिति है इसे जानने के लिये हमने सन 2019 में मुसहर समाज में हुये बाल विवाह की जानकारी प्राप्त की जिसका विवरण इस रिर्पोट में दर्शित है।

संस्था द्वारा विकास खण्ड चकिया के 8 ग्राम पंचायतों के 10 गांवों के 12 मुसहर वस्तियों में रहने वाले परिवारें में 2019 में हुये विवाह की जानकारी परिवारों के मुखिया द्वारा हासिल किया। जिसमें हमने आधार कार्ड से आयु का मिलान किया और उस व्यक्ति की विवाह के तिथि की जानकारी प्राप्त किया। जिसमें हमने पाया कि कुल 21 विवाह 2019 में हुये है। जिसमें 10 लड़का और 11 लड़की का विवाह हुआ है। आयु के आधार पर हम पाई चार्ट से बाल विवाह की गंभीर स्थिति को निम्न प्रकार से समझ सकते है–

पाई चार्ट–1 लैंगिक आधार पर विवाह की स्थिति

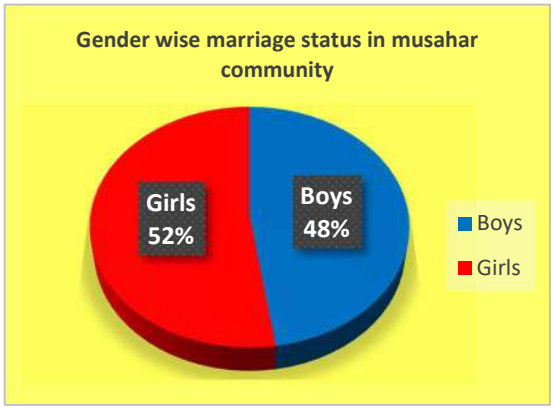

इस पाई चार्ट के आधार पर हम कह सकते है कि चयनित 12 पुरवों के मुसहर समाज में सन 2019 में कुल 21 विवाह हुये जिमसें से 52 प्रतिशत विवाह लड़कियों की और 48 प्रतिशत विवाह लड़कों की हुयी है। डाटा के आधार पर अधिकतर विवाह स्थानीय स्तर पर या फिर आस पास की जिलों के दायरें में की गयी है। विवाह के अनुदान के लिये कुल 04

परिवारों द्वार अनुदान के लिये फार्म भरें गये थे। लेकिन उन्हे ये सहायता प्राप्त नही हुआ। यहा यह भी समझना जरूरी है कि इन विवाहों में मुसहर समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी भागीदार बने और किसी ने भी बाल विवाह के मुददे पर विवाह का विरोध नही किया और न ही किसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित विभाग को सूचित किया। सामाजिक परम्परा के अनुसार लोगो ने अपना आर्शीवाद भी प्रदान किया।

पाई चार्ट–2 निर्धारित आयु के आधार पर विवाह की स्थिति

इस पाई चार्ट के आधार पर हम कह सकतें हैं कि देंश के कानून द्वारा निर्धारत न्यूनतम आयु बालिका 18 और बालक 21 वर्ष के आधार पर देखें तो पातें है कि 2019 में कुल 21 विवाह में से 86 प्रतिशत बाल विवाह हुये है। जबकि मात्र 14 प्रतिशत विवाह ही निर्धारित आयु में किये गयें है। इस आधार पर हम कह सकतें है कि मुसहर समाज में बाल विवाह हो रहे है। जिसका प्रभाव लड़की और उसके होने वाले बच्चे पर देखने को मिल रहा है। जैसे किशोरियो और महिलाओं में खून की कमी, बच्चो में गंभीर कुपोषण, शिशु व बाल मृत्यु, मातृ मृत्यु आदि की गंभीर स्थिति का होना।

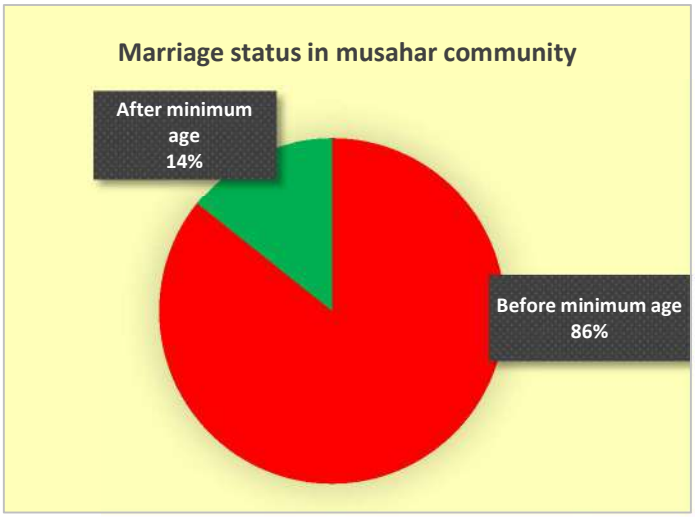

इस समाज में समूह चर्चा के आधार पर हम कह सकतें है कि मुसहर समाज के वयस्क को जानकारी है कि देख में विवाह के लिये न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है फिर भी पारम्परिक रितीयों का पालन करते हुये वे अपने समाज के बच्चो को विकास के अधिकारों का जानबूझ कर हनन कर रहे है और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे है कि वह आजीवन कुपोषण, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ही साथ गरीबी की कुचक्र में फसा रह जाता है और तमाम कोशिशों के बाद भी उसके परिवार की वार्षिक आय बेहतर जीवन जीने के लिये प्राप्त नही होती।

इस समाज के लोग बाल विवाह को अपने जीवन के आधार पर प्रमाणित करने की कोशिस करते है और बताते है कि हमारे समाज में ऐसा ही होता है। ऐसा करना एक आदर्श माता पिता की जिम्मेदारी मानते है और इस प्रकार के कार्य करने के लिये वे अपनी अर्जित सम्पत्ति तक बेच देते है या जरूरत पड़ने पर कर्ज तक लेते है।

पाई चार्ट–3 आयु के आधार पर विवाह की स्थिति

इस पाई चार्ट के आधार पर हम देखें तो पातें है कि मुसहर समाज में बाल विवाह हो रहें है। लेकिन अगर हम इसे और सूक्ष्म स्तर पर जा कर देखें तो पातें है कि मुसहर समाज में कुल 18 बाल विवाह में 10 वर्ष से 20 वर्ष (बालक के केस में) के आयु तक विवाह हुये है। 10 वर्ष की बालिका की विवाह भी परिवार द्वारा किये गये है और 20 वर्ष के बालक की भी विवाह किये गये है। कुल बाल विवाह में 10 वर्ष की आयु पर 1 विवाह, 12 वर्ष की आयु पर 1 विवाह, 13 वर्ष की आयु पर 2 विवाह, 14 वर्ष की आयु पर 4 विवाह, 15 वर्ष की आयु पर 2 विवाह, 16 वर्ष की आयु पर 5 विवाह, 19 वर्ष के लड़के की आयु पर 2 विवाह और 20 वर्ष के लड़के की आयु पर 1 विवाह मुसहर समाज में की गयी है। अगर हम देखें तो पाते है कि 14 व 16 वर्ष की आयु में बाल विवाह अधिक हो रहे है। जबकि 16 साल में सबसे अधिक हो रहे है।

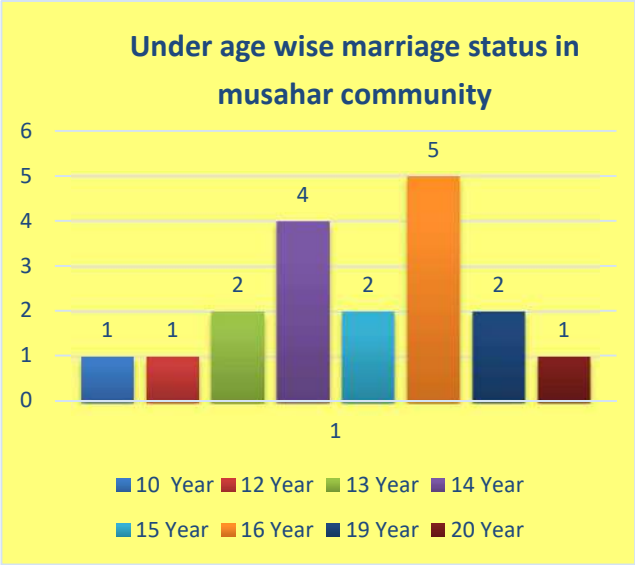

उपरोक्त आधार पर हम कह सकतें है कि जिला चन्दौली के विकास खण्ड चकिया के विभिन्न मुसहर समाज में बाल विवाह प्रचलित है और वे कानून की जानकारी होने के बाद भी अपने रीति रिवाजों के आधार पर ही खुलेआम बाल विवाह कर रहे है। जिसके कारण से इस समाज के महिलाओं में खून की कमी, कमजोरी और बच्चो में गंभीर से मध्यम दर्जे के कुपोषण की गंभीर स्थितियों बनी रहतीं है। इस समाज की वार्षिक आय भी इस परिवार के भरण पोषण के लिये पर्याप्त नही है और इस पर से परिवार में बच्चो की गंभीर कुपोषण की स्थितियों इस समाज को गरीबी के चक्र में फसायें रहती है। इस समाज मे जातिगत श्रेष्ठता की भावना के कारण से वे अन्य अनुसूचित जातियों से कटे कटे से रहते है और गरीबों में गरीब का जीवन जीने को विवस है।

इन परिस्तियों के आधार पर हम इस समाज के विकास के लिये निम्नलिखित सिफारिश करते है–

1. मुसहर समाज के 10 वर्ष से निर्धारित आयु तक बच्चो को आगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ट्रेक किया जाये और परिवार व समाज में कानून और उसके सजा के प्राविधानों की जानकारी अभिभावकों को दिया जायें। ऐसा प्राविधान किया जाये कि अगर कोई अभिभावक अपने बच्चो को विवाह न्यूनतम निर्धारित आयु से कम पर करने जा रहा हो तो आगनवाड़ी

कार्यकर्ती जिला परिवीक्षा अधिकारी को सीधे सूचित करें। सूचना न देने वाले कार्यकर्ती की सेवाये समाप्त की जाये।

2. ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी दिया जाये कि ग्राम पंचायत में प्रत्येंक विवाह की निगरानी करें और बाल विवाह के केस में जिला परिवीक्षा अधिकारी को सूचित करने के साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करें।
3. माडल/आदर्श ग्राम के मानको में बाल विवाह निषेध का मानक भी जोड़ा जायें।
4. सरकारी विभाग/गैर सरकारी संस्थान व स्वैच्छिक कार्यकर्ता मुसहर समाज में बाल विवाह के मुददे पर फोकस करें और इस प्रकार से पहल करें कि सम्बंधित परिवार को देश की सरकार और कानून का डर पैदा हो और वे कानून के पालन के प्रति जागरूक हो।
5. विवाह के संस्कार को कराने वाले धार्मिक व्यक्तियों को भी बाल विवाह के केस में जिम्मेदार बनाया जाये और ऐसे संस्कार को कराने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित हो।
6. सामूहिक विवाह कराने वाली कार्यदायी विभाग/संस्थायें व व्यक्तियों को भी बाल विवाह के प्रति जिम्मेदार बनाया जाये और बाल विवाह कराने वाले कार्यदायी विभाग/संस्थायें व व्यक्तियों के भी खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित हो।
7. जिन बालक और बालिकाओं की विवाह को गयी है उन परिवारों में आशा और ए0एन0एम0 के माध्यम से परिवार नियोजन को सुनिश्चित किया जाये ताकि बालिका 19 वर्ष के बाद ही मां बने।
8. जो बालिकायें गर्भवती है उनके सुरक्षित प्रसव के लिये प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात के मानको को आशा और ए0एन0एम0 के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाये और नियमित आधार पर फालोअप किया जाये।
9. यह सुनिश्चित किया जाये कि जो बालिकायें गर्भवती है उन्हे आगनवाड़ी से आयरन की गोली, टीकाकरण, पूरक पोषाहार मानकों के आधार पर प्राप्त हो और उसका उपयोग बालिकायें कर रही हो।
10. यह सुनिश्चित किया जाये कि जो बालिकायें गर्भवती है उनका केवल संस्थागत प्रसव हो और उन्हे अस्पताल में मानको के आधार पर चिकित्सा देखरेख हो।

भवदीय,

मुश्ताक अहमद

मुख्य कार्यकारी, रोजा संस्थान, वाराणसी

दिनांक 28 अगस्त 2019